में जारी हुए

8/1/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ~~16/2/18~~ को पेश हो।

16/2/18 पत्रावली पेश हुई, वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादीगण को वाद के क्रम में सुना गया। विद्वान वकील वादीगण ने कथन किये कि वादीगण के पिता व पति का वास्तविक नाम नवीन कुमार है, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में नयन अंकित कर दिया गया तथा नवीन कुमार की मृत्यु हो चुकी है, तथा पहचान के दस्तावेजों में उसका नाम नवीन कुमार अंकित होनें से, उसका फोती इंतकाल दर्ज नही हो पा रहा है। अतः वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा जवाब सरकार पर मनन किया गया, जवाब सरकार में उल्लेखित किया गया है कि मृतक नयन और नवीन पुत्र किशनचन्द्र जाति गूजर निवासी उम्मेदपुरा एक ही व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सं0 2072–75 वाके ग्राम उम्मेदपुरा खाता नं0 48, छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नवीन कुमार, छायाप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डूंगरज्या, छायाप्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डूंगरज्या, छायाप्रति आधार कार्ड नवीन कुमार, छायाप्रति पेन कार्ड नवीन कुमार, छायाप्रति राशन कार्ड नवीन कुमार, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र नवीन कुमार, छायाप्रति बैंक पास बुक नवीन कुमार, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र सुनीता, छायाप्रति भामाशाह कार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम नवीन कुमार अंकित है तथा विवादित आराजी के सहखातेदार मुकेश पुत्र किशनचन्द्र व सुन्दर बाई बेवा किशनचन्द्र ने भी उपस्थित होकर इस तथ्य की ताईद की है कि मृतक का वास्तविक नाम नवीन कुमार ही है तथा उसका नाम दुरूस्त किये जानें में हमे कोई आपत्ति नहीं है, तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये और इस बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये। चूंकि वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नयन अंकित है तथा उसके पहचान के समस्त दस्तावेजों में नाम नवीन कुमार है। जवाब सरकार एवं ग्राम पंचायत डूंगरज्या द्वारा जारी प्रमाण पत्र में नयन व नवीन कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा वादपत्र में नवीन उर्फ नयन कुमार के हिस्से पर खातेदारी घोषणा भी चाही गई है, किन्तु नामान्तरकरण की प्रकिया बाद वारिसान की जांच की जानी है, जिसे अधिकृत ऐजंसी

सुनीता

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा ही किया जाना उचित पाते है। जिससे वाद वादीगण आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। लिहाजा वाद वादीगण नाम दुरूस्ती तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 34 रकबा 1.85 हे0, ख0नं0 36/199 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 64 रकबा 1.07 हे0, ख0नं0 74 रकबा 2.01 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.07 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि नाम नयन के स्थान पर नवीन उर्फ नयन पुत्र किशन चन्द्र दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	